93 जहेज़

और उसके नुक़्सानात

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम वाला हैं।

सब तअरीफे अल्लाह तआला के लिए हैं। जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद मांगते और उसी से माफी चाहते हैं। अल्लाह की लातादात सलामती, रहमतें व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर, आपकी आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर।

व ब अद!

जहेज़:– यह अरबी ज़बान का लफ़्ज़ है। जिसका मआनी है। तैयार करना, इन्तेज़ाम करना, सामाने सफ़र को तैयार करना और कफ़न–दफ़न का सामान तैयार करना **(लिसानुल अरब)**

लेकिन उर्फ़े आम में जहेज से मुराद वोह सामान या चीज़ें हैं जो शादी के मौक़े पर दुल्हन या उसके घर वालों की तरफ़ से दुल्हा के घर भेजी जाती हैं।

रस्मे जहेज़ की शरई हैसियत:–

लड़के या उसके घर वालों की तरफ़ से लड़की के सर परस्तों से जहेज़ (ख़्वाह सामान की शक्ल में हो या जायदाद या नक़दी वग़ैरह की शक्ल में) की मांग करना या जहेज़ को शादी की शर्त या उसका ज़रूरी हिस्सा समझना सरासर ग़लत और इस्लामी शरीअत के ख़िलाफ है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने अपने या किसी सहाबी रज़ि. के किसी निकाह पर इसे लागू नहीं किया। न किसी से जहेज़ लिया और न ही किसी को जहेज़ दिया। बल्कि अक्सर व बेशतर जहेज़ का ज़िक्र भी हदीस की किताबों में नहीं मिलता।

इस्लाम में शादी–ब्याह के सारे मसाइल और शादी के बाद घर गृहस्थी के सारे इन्तेज़ाम की सब ज़िम्मेदारी शौहर पर है, बीवी पर नहीं। अगर चे बीवी मालदार ही क्यों न हो। इसीलिए मर्दों को औरतों पर फ़ज़ीलत भी है। जैसा कि इर्शादे बारी तआला है "मर्द औरतों पर हाकिम हैं। इसलिए कि अल्लाह ने बअज़ को बअज़ पर बरतरी दी है और इस वजह से भी कि वह अपना माल ख़र्च करते हैं।" **(निसा–आयत–34)**

इसलिए होने वाली बीवी या उसके घर वालों से इस तरह की कोई मांग ख़्वाह वह जहेज़ के नाम से हो या किसी और रूप में दीनी व अख़लाक़ी लिहाज़ से सही नहीं है। अलबत्ता बीवी या उसके सरपरस्त मालदार हों और वह अपनी खुशी से कोई तोहफ़ा दें या शौहर ग़रीब व ज़रूरत मंद हो और वोह उसकी मदद करदें तो यह जाइज़ है।

हज़रत फ़ातिमा रज़ि. के बारे में यह जो मशहूर हैं कि रसूल सल्ल. ने उन्हें जहेज़ के तौर पर कुछ सामान जैसे एक चादर, एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, एक चक्की, एक मशक़ और दो मटके दिये थे। तो इसकी हक़ीक़त सिर्फ़ इतनी

है कि हज़रत अली रज़ि. का मदीना में कोई घर न था। वह आप सल्ल. की किफ़ालत ही में रहते थें रसूल सल्ल. ही आप के सरपरस्त थे। इसलिए जब आप सल्ल. ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ि. का निकाह अली रज़ि. से किया तो घर बसाने के लिए यह मज़कूरा कुछ ज़रूरी सामान उन्हें दिया था और यह सारा सामान भी अली रज़ि. के माल से ही ख़रीदा गया था जो उन्होंने अपनी एक जिरह बेचकर हासिल किया था।

(तारीख़ इब्ने कसीर–जिल्द–3 सफ़ा–416–417)

रस्में जहेज़ के नुक़्सानात

जहेज़ किसी शादी में होने वाली तमाम बुरी रस्मों की जड़ है। आज इसने हिन्द व पाक के मुस्लिम समाज में नासूर की शक्ल इख़्तियार कर ली है और इस समाज की बुनियादें खोखली कर रही है। यह लअनत समाज के किसी एक तबके तक सीमित नहीं है बल्कि मुसलमानों की अक्सरियत ने इसे अपना लिया है। इस बद रस्म की वजह से यहां के मुसलमान बहुत नुक़्सान में हैं। मगर फिर भी यह लअनत है कि रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जबकि यह रस्म असलन जिन लोगों की देन है। आज वोह इससे पनाह मांग रहे हैं। अपनी ताक़त भर इसे छोड़ भी रहे हैं और अपने हम मज़हबों व समाज के लोगों को इसे छोड़ने पर आमादा भी कर रहे हैं।

इस बद रस्म की जितनी बुराई की जाए कम है और इसके जितने नुक़्सानात गिनाए जाएं थोड़े हैं। हम यहां मुख़्तसरन इसके दीनी, समाजी, तिब्बी और अख़लाक़ी नुक़्सानात को समझने की कोशिश करते हैं।

दीनी नुक़्सानात

(1) जहेज़ की रस्म को रिवाज देने वाले घराने सुन्नते रसूल सल्ल. की हुरमत व अज़मत को तार–तार करके एक बिदअत व गैर मुस्लिमाना रस्म को बढ़ावा देते हैं और यह कोई छोटा गुनाह नहीं है।

(2) अल्लाह के रसूल सल्ल. ने दीनदार औरत से शादी करने की तालीम दी है। लेकिन जहेज़ के लालच में ऐसी लड़की को बखुशी कुबूल कर लिया जाता है जो दीन व अख़लाक़ से आरी, दीनी तालीम व तरबीयत से कोरी, तहज़ीब से अन्जान और शक्ल व सूरत में भी ख़ास न हो यह सब ख़ामियां इसलिए ख़ूबियां बन जाती हैं कि लड़की के साथ आने वाले जहेज़ की फ़ेहरिस्त बहुत लम्बी है।

(3) जहेज़ चूंकि बर्रे सग़ीर के गैर मुस्लिमों की रस्म है और उनके यहां लड़की विरासत की हक़दार नहीं होती लिहाज़ा इसकी भरपाई के तौर पर शादी के मौक़े पर वोह जहेज़ देते रहे हैं। उनकी ही देखा देखी यहां के ज़्यादातर मुसलमानों ने भी लड़की को विरासत के हक से मेहरूम कर दिया और बदले में जहेज़ को चलन में ले आए। हांलाकि अल्लाह ने लड़की को भी विरासत का हक़दार बनाया है और उनसे उनके (अल्लाह के दिये) इस हक़ को छीनना अल्लाह के हुक्म की मुख़ालिफ़त है। इर्शादे बारी तआला है "यह अल्लाह की हदें हैं। जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल (सल्ल.) की इताअत करेगा। अल्लाह उसको ऐसी जन्नत में दाख़िल करेगा जिसके नीचे नहरें

बहती हैं और वोह उसमें हमेशा रहेगा और जो अल्लाह की और उसके रसूल (सल्ल.) की नाफ़रमानी करेगा और हद से आगे बढ़ेगा वह (अल्लाह) उसे जहन्नम में दाख़िल करेगा, जहां हमेशा रहेगा।"**(निसा—आयत—13,14)**

समाजी नुक्सानात

(1) जहेज़ एक ऐसी समाजी बुराई बन चुकी है कि इसके बग़ैर भादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हत्ता कि खुद लड़की वाले भी यही समझते हैं कि शादी तक अगर जहेज़ का सामान तैयार नहीं हुआ तो हम बच्ची के हाथ पीले नहीं कर पायेंगें। चुनांचे बच्ची के पैदा होने के बाद से ही अक्सर वाल्दैन को उसके जहेज़ की फ़िक्र खाने लगती है। वोह पेट काट—काट कर बच्ची के जहेज़ की तैयारी शुरू कर देते हैं अभी एक लड़की की ज़िम्मेदारी से फ़ारिग़ भी नहीं होते कि दूसरी बच्ची के जहेज़ की फ़िक्र सताने लगती है। क्या यहं ग़रीब वाल्दैन पर जुल्म नहीं? जबकि हदीसे कुदसी है कि "ऐ मेरे बन्दों! बेशक मैंने अपने लिए जुल्म को हराम कर लिया है और तुम्हारे बीच भी जुल्म को हराम कर दिया है। लिहाज़ा आपस में जुल्म न करों" (मुस्लिम)

(2) जहेज़ की वजह से समाज में दिखावे की एक रीत चल निकली है। जो मां—बाप जहेज़ तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। वोह शादी के मौक़े पर रिश्ते दारों व मेहमानों को जमा करके जहेज़ का सामान बड़े फ़ख्र से उन्हें दिखाते हैं। ख़ास कर औरतें जहेज़ देखने—दिखाने की यह रस्म ज्यादा अदा करती हैं। हालांकि इस्लाम इस तरह की नुमाइश, फ़ख्र और दिखावे को पसन्द नहीं करता। रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "बेशक़! मैं तुम्हारे बारे में जिन चीज़ों का ख़ौफ़ खाता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा 'शिर्के असग़र" (यानि दिखावा) और रियाकारी) का खौफ़ खाता हूँ।" **(सि.अ. सहीहा—951)**

(2) बहुत से सरपरस्त (बाप—भाई) अपनी बेटी या बहन की शादी करने और समाजी रस्मों को निभाने के लिए (मजबूरी में) ना जाइज़ तरीक़े इख़्तियार करके किसी न किसी तरह जहेज़ का सामान पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी यह जहेज़ रूपी दानव किसी बाप—भाई के चोर या डाकू बनने, रिश्वत लेने, ख़यानत करने, झूट बोलने, सूद लेने या शराब वग़ैरह का कारोबार करने जैसे हराम ज़राय अपनाने की वजह बन जाता है। जबकि इर्शादे बारी है "एक दूसरे का माल ना हक़ न खाया करो और न ही हाकिमों को रिश्वत देकर किसी का माल जुल्म से हासिल करों।" **(बक़राह—आयत—188)**

(3) जो लोग जेहज़ देने की हैसियत नहीं रखते या जहेज़ को ग़ैर इस्लामी रस्म समझ कर इसे न देने का ऐलान कर दें तो लोगों की अक्सरियत उस घर का रास्ता भूल जाती है। बल्कि कभी तो ऐसे घरों की लड़कियों को ज़िन्दगी बिना शादी किये ही गुज़ारना पड जाती है। जबकि शादी एक फ़ितरी और समाजी ज़रूरत है। जैसा कि इर्शादे बारी है "तुममें से जो बेनिकाह हैं, उनके निकाह कर दो।" **(नूर—आयत—32)** मगर अक्सर यह होता है कि जहेज़ की यह रस्म शादी के फ़रीज़े की अदायगी में रूकावट बन जाती है।

4) कभी लड़कियां जब यह देखती हैं कि उनके सरपरस्त चाह कर भी उनके लिए जहेज़ का इन्तेज़ाम नहीं कर पा रहे और इस वजह से वह अपने आप में घुटन मेहसूस करते हैं। तो उनका बोझ हल्का करने की ग़रज़ से कुछ लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग जाने या पंखें से लटक कर या किसी और तरह अपनी जिन्दगी ख़त्म कर लेने जैसा ग़लत कदम उठा लेती हैं।

तिब्बी नुक्सानात

(1) जहेज़ का माकूल इन्तेज़ाम न कर पाने की वजह से बहुत से वाल्दैन लड़कियों को घर में बिठाए रखने पर मजबूर होते हैं। कुछ लड़कियां तो घरों में बैठी–बैठी सिर्फ़ इसलिए बुढ़ापे तक जा पहुंचती हैं कि बद क़िस्मती से वोह ऐसे वाल्देन के घरों में पैदा हुई हैं जहां उनके लिए जहेज़ तैयार नहीं हो पाता। कई लड़कियां जवानी के ढ़लने तक शादी न हो पाने और जिन्सी ज़रूरतों के पूरा न होने की वजह से कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं।

(2) लड़की के बालिग़ होने के बाद जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देना सेहत के ऐतेबार से उसके लिए फ़ायदेमन्द रहता है। मगर शादी में जितनी देरी होती जाती हैं, उतना ही लड़की की ज़िन्दगी का सुकून कम होता जाता है। कई तरह के फ़िक्रात उसे घेर लेते हैं। लोगों खास कर कुछ बुरी औरतों की कटी जली बातें उसका जीना दूभर कर देती हैं। ऐसे में कई बीमारियां उस पर हावी हो जाती हैं और वह बीमार रहने लगती है। जबकि इर्शादे बारी है "अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे आराम पाओ और उसने तुम्हारे बीच मुहब्बत और हमदर्दी क़ायम करदी।" **(रूम–आयत–21)**

मगर यह रस्मे जहेज़ अल्लाह की इस अज़ीम नैअमत व निशानी औरत को दुखों के भंवर में ज़िन्दगी गुज़ारने पर मजबूर कर देती है। और यह दुख ही उसको बीमार बना देते हैं।

अख़लाक़ी नुक़्सानात

इनसानी ज़िन्दगी में एक वक़्त ऐसा आता है जब इन्सान में शहवानी ख़्यालात अंगड़ाइयां लेने लगते हैं। जो दर हक़ीक़त इन्सानी जिस्म की एक फ़ितरी ज़रूरत है। अल्लाह ने इन्हीं जज़बात की तस्कीन के लिए शादी की तजवीज़ रखी और फ़रमाया "जो औरतें तुम्हें पसन्द हों, उनसे निकाह करो।" **(निसा–आयत–3)** और रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "ऐ नौजवानों की जमाअत! तुम में से जो शादी की ताक़त रखता हो, वह ज़रूर शादी करे।" **(बुख़ारी–5066&मुस्लिम–3398)**

लड़कियों के सरपरस्त चूंकि बाप–भाई वग़ैरह हैं इसलिए बालिग़ा लड़कियों के बारे में अल्लाह ने उन्हीं को हुक्म दिया कि "तुममें जो बे निकाह है, उनके निकाह कर दो।" **(नूर–आयत–32)**

लेकिन लड़कियों के सरपरस्त अगर जहेज़ का सामान जमा न करने की वजह से बालिग़ लड़कियों के निकाह में ज़्यादा देर करने लगें या जहेज़ का इन्तेज़ाम न कर पाने की वजह से उसे ब्याहने में टाल–मटोल करने लगें तो उससे कई अख़लाकी बुराईयां जन्म लेती

हैं, जिनसे समाज को नुक़्सान पहुंचता है।
जैसे:– (1) जिन्सी ख़्वाहिशात की ज़द में आकर ज़िना कर बैठना, जो मामूली गुनाह नहीं। इसकी संगीनी का अन्दाज़ा इसकी सज़ा से बख़ूबी लगाया जा सकता है। ज़िना की सज़ा क़ुरआन ने यह बतलाई है कि "ज़िना करने वाले मर्द व औरत (कुंआरे)में से हर एक को सौ कोड़े लगाओ। उन पर अल्लाह की हद क़ायम करने में तुम्हें हरगिज़ तरस नहीं खाना है। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर यक़ीन है। उनको सज़ा देते वक़्त मुसलमानों की एक जमाअत मौजूद रहना चाहिये।" **(नूर–आयत–2)**
(2) यह बात भी छिपी नहीं है कि शहवानी जज़बात की ज़द में आकर दूसरे बुरे तरीक़ों से अपनी जिन्सी प्यास बुझाने की कोशिश करती हैं। हालांकि ऐसे गन्दें व बुरे कामों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इर्शादे बारी है "यक़ीनन जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए दुनिया और आख़िरत में दर्द देने वाला अज़ाब है।" **(नूर–आयत–19)**
(3) कुछ जवान लड़कियां वक़्त पर शादी न होने की वजह से कभी गन्दा लिट्रेचर देख व पढ़कर अपनी जिन्सी ख़्वाहिशात को दबाने की नाकाम कोशिश करती हैं। तो कुछ गंदे व बेहूदा गाने सुनकर अपने दिल को बहलाती हैं। इसके अलावा कई ग़ैर अख़लाक़ी अफ़आल (कामों) के ज़रिये गुनाह कमाये जाते हैं। जिन्हें बयान करना मुनासिब नहीं। मगर यह याद रहे कि इन्सानी जिस्म का हर हिस्सा ज़िना जैसा गुनाह करता है। जैसाकि रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "अल्लाह ने इन्सान के मामले में ज़िना में से उसका हिस्सा लिख दिया है, जिससे वह ज़रूर दो–चार होगा। लिहाज़ा आंख का ज़िना देखना हैं, जबान का ज़िना (गंदी बात) बोलना है, दिल का ज़िना यह है कि वह ख्वाहिश करता है। फिर शर्मगाह उस ख़्वाहिश को पूरा करती है या नकारती है।"
(बुख़ारी–6243&अबुदाऊद–2152&मुस्लिम–6753)
इन सारी बातों का सार यह है कि:–
(1) जहेज़ की रस्म का सुन्नते रसूल (सल्ल.) से कोई तअल्लुक़ नहीं।
(2) जहेज़ को शादी के लिए ज़रूरी समझना ग़लत है।
(3) जहेज़ मांगना एक ग़ैर इस्लामी अमल और अख़लाक़ी बुराई है।
(4) जहेज के बदले में लड़की को विरासत से मेहरूम (या बे दख़ल) करना अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी है।
(5) मुरव्वजा रस्मे जहेज़ ग़ैर इस्लामी रस्म है।
(6) रसूल सल्ल. और सहाबा रज़ि. के ज़माने में जहेज़ की यह शक्ल बिल्कुल नहीं थी।
(7) रस्में जहेज़ के कई दीनी व समाजी नुक्सानात हैं।
(8) जहेज़ के तिब्बी और अख़लाक़ी नुक़्सानात भी कुछ कम नहीं।
लिहाज़ा लड़कियों के सरपरस्तों को चाहिये कि दीनदार रिश्ते तलाश करें। उन लोगों से अपनी बेटिया या बहने ब्याहें जो जहेज़ लेने से इन्कार करें। खुद सरपरस्त भी अहद करें कि वोह अपने

लड़को की शादी में जहेज़ नहीं लेंगे।

मुस्लिम मर्द भी जहेज़ को एक बुरी रस्म व जुल्म समझकर खुद को इससे बचाएं।

इसलिए भी कि जहेज़ के बारे में उलैमा ए इस्लाम हर ज़माने में यह बताते रहे कि जहेज़ का लेना जाइज़ नहीं है। फ़िक्ह हनफ़ी की मशहुर किताब फतावा आलमगीरी में यह साफ़ हुक्म मौजूद है "औरत को जहेज़ लाने पर मजबूर करना किसी भी तरह सही नहीं। न उसके दिये गए मेहर में से और न उसके अलावा से और मेहर तो सारा बीवी का है, उसमें वह जो चाहे करे।"

(आलमगीरी–जिल्द 1 सफ़ा–317)

इमाम इब्ने हज़म रह. लिखते हैं "औरत को इस पर मजबूर करना जाइज़ नहीं कि वह शोहर के पास जहेज़ का सामान लाए। न उस मेहर की रक़म से जो शौहर ने उसको दी है और न अपने दूसरे माल से" **(महला–जिल्द–6 सफ़ा–618)**

मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने लिखा कि "जहेज़ की तबाह कारियां इतनी ज़्यादा है कि उनके बारे में जितना लिखा जाए कम है। अब तो हालात यह हो गए हैं कि जहेज़ की बढ़ती मांगों से तंग आ कर ग़रीब मां–बाप की लायक़ व क़ाबिल बेटियां अपने आने वाले कल से मायूस हो कर ज़हर खाकर खुदकशी करने या फांसी का फंदा लगा कर मर जाने या अपने आप को जला डालने पर आमादा हो रही हैं। क्योंकि जब तक जहेज़ के नाम से एक लड़की अपने साथ दौलत का अम्बार ले कर न आए कोई उससे शादी करने वाला नहीं मिलता।" **(फ़ित्ना ए जहेज़–सफ़ा–18)**

कई उलैमा ने जहेज़ के ज़रिये जो आमदनी माल या नक़द की शक्ल में होती है, उसको हराम क़रार दिया है। उसका इसतेमाल करना और उससे फ़ायेदा उठाना नाजाइज़ बताया और कहा कि यह वह माल है जिसमें लेने वाला और देने वाला दोनों ही गुनाहगार होते हैं। हराम माल के बारे में रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "हराम माल जिसने इस्तेमाल किया हो, उसके लिए जहन्नम की आग ज़्यादा मुनासिब है।"

(मिश्कात–2771&अहमद)

"हराम माल में बरकत भी नहीं होती बल्कि जल्द खत्म हो जाता है। और अक्सर अपने साथ बहुत सी दुनियावी मुसीबतें व परेशानियां भी लाता है। अगर ऐसा शख़्स सदक़ा करता है तो उसका वह सदक़ा कुबूल भी नहीं होता।" **(जहेज या नक़द रक़म का मतालबा–सफ़ा–24–25)**

आइये! अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तआला अपने दीन पर चलना हम सब के लिए आसान बनाए। हमारे हाल की इस्लाह फ़रमाए, हमें बदरस्मों से बचने की तौफ़ीक़ दे और अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन!

आपका दीनी भाई
मुहम्मद सईद
9887239649
9214836639